उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 10.09.2023
थाना सफीपुर ,जनपद उन्नाव।

- **हत्या का आरोपी गिरफ्तार।**
- **प्रेम संबन्धो के चलते की महिला की हत्या।**
- **अभियुक्त के कब्जे से आलाकत्ल कुल्हाड़ी बरामद।**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी अभियुक्त को मय आलाकत्ल एक अदद कुल्हाड़ी बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 10.09.2023 को समय प्रातः 05.30 बजे रिंकी पत्नी राम सिंह उम्र 42 वर्ष निवासी मोहल्ला बाकरगंज कस्बा व थाना सफीपुर जनपद उन्नाव की अनिल राठौर पुत्र बाबूलाल निवासी उपरोक्त द्वारा घर मे घुसकर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की दी थी। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक श्री श्याम नारायण सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर मृतका रिंकी उपरोक्त के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्णकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया तथा आरोपी को मृतका के घर से ही मय आलाकत्ल कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से पूंछतांछ करने पर उसने बताया कि रिंकी ने करीब दो वर्ष पूर्व अपने पति राम सिंह को छोड़ कर मुझसे शादी कर ली थी और मेरे साथ पत्नी के रूप में रह रही थी। करीब एक माह पूर्व वह अपने पहले पति राम सिंह व अपने बच्चों के पास आ गयी थी और अब मेरे पास जाने को तैयार नही हो रही थी, इस बात से नाराज होकर मैने तय कर लिया था यदि रिंकी मेरे पास नही रही तो राम सिंह के पास भी नही रहेगी। इसी प्रतिशोध में आज दिनांक 10.09.2023 को सुबह लगभग 5.30 बजे रामसिंह के घर में घुसकर कुल्हाड़ी से बगल वाले कमरे में जहां पर रिंकी अपने बेटे के साथ लेटी हुई थी, मैने कुल्हाड़ी से वार करके रिंकी की हत्या कर दी और उसके बचाव में उसके लड़के तरून को भी कुछ चोटें आ गई, शोरगुल सुन राम सिंह को आते देख कमरे में कुल्हाडी छिपाने के लिये भाग आया था लेकिन रामसिंह ने बाहर से दरवाजा बन्द कर दिया और फिर मैने भी दरवाजा अन्दर से बन्द कर लिया था। घटना उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना सफीपुर पर मु0अ0सं0 258/2023 धारा 302/452/323/324 भा0द0वि0 बनाम अनिल उपरोक्त पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. अनिल पुत्र बाबूलाल राठौर निवासी मो0 बाकर गंज कस्बा व थाना सफीपुर उन्नाव उम्र 42 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO श्री श्याम नारायण सिंह
SSI श्री अमित सिंह
हे0का0 सौरभ मिश्रा
का0 गिरीश कुमार
का0 देवेन्द्र पाल
का0 मुनेश कुमार
का0 कोमल प्रसाद
का0 जगदीश
म0आ0 नेहा
म0आ0 सुमन

उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 10.09.2023
थाना कोतवाली सदर ,जनपद उन्नाव।

30 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 30 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 10.09.2023 को उ0नि0 राजेन्द्र सिह मय हमराह हे0का0 शादाब खान,का0 वसीम खान, का0 सुनील कुमार द्वारा तीन अभियुक्तो 01. राहुल S/O मंगली प्रसाद नि0 भवानीखेडा थाना कोतवाली सदर जिला उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष 02. रवीचन्द्र S/O राजेन्द्र नि0 भवानीखेडा थाना कोतवाली सदर जिला उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष 03. श्यामबाबू S/O जवाहरलाल नि0 भवानीखेडा थाना कोतवाली सदर जिला उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से 10,10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद की गई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 745/23, 746/23, 747/23 धारा 60 EX ACT पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

01. राहुल पुत्र मंगली प्रसाद नि0 भवानीखेडा थाना कोतवाली सदर जिला उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष
02. रवीचन्द्र पुत्र राजेन्द्र नि0 भवानीखेडा थाना कोतवाली सदर जिला उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष
03. श्यामबाबू पुत्र जवाहरलाल नि0 भवानीखेडा थाना कोतवाली सदर जिला उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण- प्रत्येक अभियुक्त के कब्जे से 10,10 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 उ0नि0 राजेन्द्र सिह चौकी प्रभारी सदर थाना कोतवाली सदर उन्नाव
- हे0का0 शादाब खान
- का0 वसीम खान
- का0 सुनील

उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 10.09.2023
थाना कोतवाली सदर ,जनपद उन्नाव।

फरार महिला बन्दी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस जिला अस्तपाल से फरार महिला बन्दी को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 08.09.2023 को जिला अस्पताल उन्नाव मे भर्ती महिला बंदी अनीता पत्नी स्व0 चन्द्रपाल पासी उम्र करीब 28 वर्ष नि0 रामनन खेड़ा भगवंत नगर थाना बिहार जनपद उन्नाव सम्बन्धित वाद सं0 229/15 मु0अ0सं0 104/215 धारा 302 भादवि0 थाना बिहार जनपद उन्नाव, जिला अस्तपाल से फरार हो गयी थी। अधीक्षक कारागार की सूचना पर थाना कोतवाली पर फरार युवती के विरुद्ध मु0अ0सं0 744/2023 धारा 224 भादवि पंजीकृत किया गया था । आज दिनांक 10.09.2023 को व0उ0नि0 अरविन्द पाण्डेय मय हमराह फोर्स द्वारा फरार महिला बन्दी अनीता उपरोक्त को गढ़ी छत्रपति कांशीराम कालोनी आटो स्टैण्ड फिरोजाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा महिला बन्दी को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण –

- अनीता पत्नी स्व0 चन्द्रपाल पासी उम्र करीब 28 वर्ष नि0 रामनन खेड़ा भगवंत नगर थाना बिहार जनपद उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- व0उ0नि0 अरविन्द पाण्डेय थाना कोतवाली सदर उन्नाव
- हे0का0 भालचन्द्र
- हे0का0 संजीव कुमार यादव
- का0 राजेश सिह
- म0का0 नीतू यादव
- म0का0 सोनी

उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 10.09.2023
थाना मौरांवा ,जनपद उन्नाव।

100 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्ता गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरांवा पुलिस द्वारा 100 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 10.09.2023 को उ0नि0 विजय कुमार मय हमराह फोर्स द्वारा दो अभियुक्ता 01. केशकली पत्नी स्व0 बच्चू लाल नि0 ग्राम जनवारन खेडा थाना मौरावां 02. सुमन पत्नी विनोद नि0 ग्राम छोटी बहुतिया मजरा गुलरिहा थाना मौरावां को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता केशकली उपरोक्त के कब्जे से 40 लीटर व सुमन उपरोक्त के कब्जे से 60 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब बरामद की गई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मौरांवा पर मु0अ0सं0 478/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम केशकली उपरोक्त व 2.मु0अ0सं0 481/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम सुमन उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

केशकली पत्नी स्व0 बच्चू लाल नि0 ग्राम जनवारन खेडा थाना मौरावां
सुमन पत्नी विनोद नि0 ग्राम छोटी बहुतिया मजरा गुलरिहा थाना मौरावां,

बरामदगी का विवरण- केशकली उपरोक्त के कब्जे से 40 लीटर व सुमन उपरोक्त के कब्जे से 60 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विजय कुमार
2. उ0नि0 श्री शिव कुमार
3. कां0 धर्मवीर सिंह
4. कां0 विपिन कुमार
5. कां0 दिग्विजय सिंह
6. म0कां0 प्रगति शर्मा
7. म0कां0 माधुरी शर्मा